

# परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदन की प्राप्ति रसीद

120

प्राप्ति रसीद क्रमांक एवं दिनांक :-

(क) वाहन स्वामी का नाम :-

(ख) वाहन संख्या :-

(ग) स्वीकृत परमिट का मार्ग :-

संलग्न कागजातों की विवरणी :-

(संलग्न सभी कागजातों की छायाप्रति वाहन स्वामी द्वारा स्व-हस्ताक्षरित होना आवश्यक है)

1. वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र :- हाँ/नहीं
2. अद्यतन वैध कर प्रतीक :- हाँ/नहीं  
(प्राप्ति की तिथि से न्यूनतम 15 दिनों तक वैध हो)
3. अद्यतन वैध बीमा प्रमाण पत्र :- हाँ/नहीं  
(प्राप्ति की तिथि से न्यूनतम 15 दिनों तक वैध हो)
4. अद्यतन वैध दुरुस्ती प्रमाण पत्र :- हाँ/नहीं  
(प्राप्ति की तिथि से न्यूनतम 15 दिनों तक वैध हो)
5. वाहन स्वामी के बैंक पास बुक की छायाप्रति :- हाँ/नहीं
6. अधिभार शुल्क के भुगतान संबंधी बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति (छायाप्रति सहित) :- हाँ/नहीं
7. अद्यतन वैध मोटरवाहन उपक्रम चलाने का निबंधन प्रमाण पत्र :- हाँ/नहीं  
(प्राप्ति की तिथि से न्यूनतम 15 दिनों तक वैध हो)
8. विन्डस्क्रीन पर ईजंन एवं चेचिस संख्या के अंकन संबंधी MVI का प्रमाण पत्र :- हाँ/नहीं
9. विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र मूल प्रति:- हाँ/नहीं
10. वाहन के पूर्व परमिट से आवृत्त होने पर पूर्व परमिट के प्रत्यर्पण की स्वीकृति पत्र :- हाँ/नहीं
11. उपरोक्त कागजातों को उपलब्ध कराने संबंधी वाहन स्वामी का आवेदन :- हाँ/नहीं

उपरोक्त कागजातों सहित परमिट निर्गमन संबंधी आवेदन प्राप्त किया ।

प्राप्त करने वाले कर्मों का पूर्ण हस्ताक्षर  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना ।

## परमिट की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन की प्राप्ति रसीद

13

प्राप्ति रसीद क्रमांक एवं दिनांक	:-
(क) वाहन स्वामी का नाम	:-
(ख) वाहन का निबंधन संख्या	:-
(नये वाहन का चेचिस एवं ईंजन नं०)	
(ग) आवेदित परमिट का मार्ग	:-
<u>संलग्न कागजातों की विवरणी</u>	:-

(संलग्न सभी कागजातों की छायाप्रति वाहन स्वामी द्वारा स्व-हस्ताक्षरित होना आवश्यक है)

1. विहित प्रपत्र में वाहन स्वामी का फोटो युक्त आवेदन की मूल प्रति :- हाँ/नहीं
  2. वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र :- हाँ/नहीं  
(नये वाहन की स्थिति में चेचिस एवं इंजन नं० अंकित सेल लेटर की प्रति)
  3. अद्यतन वैध कर प्रतीक :- हाँ/नहीं  
(नये चेचिस वाले वाहन पर लागू नहीं)
  4. अद्यतन वैध बीमा प्रमाण पत्र :- हाँ/नहीं
  5. अद्यतन वैध दुरुस्ती प्रमाण पत्र :- हाँ/नहीं  
(नये चेचिस वाले वाहन पर लागू नहीं)
  6. वाहन स्वामी के बैंक पास बुक की छायाप्रति :- हाँ/नहीं
  7. परमिट शुल्क के भुगतान संबंधी बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति (छायाप्रति सहित) :- हाँ/नहीं
  8. आवेदन शुल्क के भुगतान संबंधी बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति (छायाप्रति सहित) :- हाँ/नहीं
  9. अद्यतन वैध मोटरवाहन उपक्रम चलाने का निबंधन प्रमाण पत्र:- हाँ/नहीं  
(नये चेचिस वाले वाहन पर लागू नहीं)
  10. विन्डस्क्रीन पर ईंजन एवं चेचिस संख्या अंकन संबंधी MVI का प्रमाण पत्र :- हाँ/नहीं
  11. विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र मूल प्रति :- हाँ/नहीं
  12. अन्तर्क्षेत्रीय परमिट के लिए आवेदित मार्ग के नक्शा की प्रति :- हाँ/नहीं
  13. समय सारणी (ए.एम./पी.एम. सहित) की स्वच्छ टंकित प्रति (छः प्रतियों में) :- हाँ/नहीं
- उपरोक्त कागजातों सहित परमिट स्वीकृति संबंधी आवेदन प्राप्त किया ।

प्राप्त करने वाले कर्मी का पूर्ण हस्ताक्षर  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,

## राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार नवीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद

प्राप्ति रसीद क्रमांक एवं दिनांक :-  
 (क) वाहन स्वामी का नाम :-  
 (ख) वाहन का निबंधन संख्या :-

संलग्न कागजातों की विवरणी :-

(संलग्न सभी कागजातों की छायाप्रति वाहन स्वामी द्वारा स्व-हस्ताक्षरित होना आवश्यक है)

- |  |            |
|--|------------|
| 1. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र :-   | हाँ / नहीं |
| 2. वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र :-   | हाँ / नहीं |
| 3. अद्यतन वैध कर प्रतीक :-<br>(प्राप्ति की तिथि से न्यूनतम 15 दिनों तक वैध)            | हाँ / नहीं |
| 4. अद्यतन वैध बीमा प्रमाण पत्र :-<br>(प्राप्ति की तिथि से न्यूनतम 15 दिनों तक वैध)     | हाँ / नहीं |
| 5. अद्यतन वैध दुरुस्ती प्रमाण पत्र :-<br>(प्राप्ति की तिथि से न्यूनतम 15 दिनों तक वैध) | हाँ / नहीं |
| 6. प्रदूषण प्रमाण पत्र :-  | हाँ / नहीं |
| 7. वाहन स्वामी का शपथ पत्र :-  | हाँ / नहीं |
| 8. प्राधिकार शुल्क रू०- 1000/- बैक ड्राफ्ट मूल में :-                                  | हाँ / नहीं |
| 9. समेकित शुल्क- 16500/- बैक चालान की मूल प्रति :-                                     | हाँ / नहीं |

उपरोक्त कागजातों सहित परमिट स्वीकृति संबंधी आवेदन प्राप्त किया ।

प्राप्त करने वाले कर्मों का पूर्ण हस्ताक्षर  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना ।

## राष्ट्रीय परमिट की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन की प्राप्ति रसीद

प्राप्ति रसीद क्रमांक एवं दिनांक :-  
 (क) वाहन स्वामी का नाम :-  
 (ख) वाहन का निबंधन संख्या :-

संलग्न कागजातों की विवरणी :-

(संलग्न सभी कागजातों की छायाप्रति वाहन स्वामी द्वारा स्व-हस्ताक्षरित होना आवश्यक है)

- |  |          |
|--|----------|
| 1. विहित प्रपत्र में वाहन स्वामी का फोटो युक्त आवेदन की मूल प्रति :-                   | हाँ/नहीं |
| 2. वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र :-   | हाँ/नहीं |
| 3. अद्यतन वैध कर प्रतीक :-<br>(प्राप्ति की तिथि से न्यूनतम 15 दिनों तक वैध)            | हाँ/नहीं |
| 4. अद्यतन वैध बीमा प्रमाण पत्र :-<br>(प्राप्ति की तिथि से न्यूनतम 15 दिनों तक वैध)     | हाँ/नहीं |
| 5. अद्यतन वैध दुरुस्ती प्रमाण पत्र :-<br>(प्राप्ति की तिथि से न्यूनतम 15 दिनों तक वैध) | हाँ/नहीं |
| 6. प्रदूषण प्रमाण पत्र :-  | हाँ/नहीं |
| 7. परमिट शुल्क 2000/- बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति एवं छायाप्रति :-                       | हाँ/नहीं |
| 8. आवेदन शुल्क -50/- बैंक ड्राफ्ट मूल एवं छायाप्रति :-                                 | हाँ/नहीं |
| 9. प्राधिकार शुल्क रू0- 1000/- बैंक ड्राफ्ट मूल एवं छायाप्रति :-                       | हाँ/नहीं |
| 10. समेकित शुल्क- 16500/- बैंक चालान की मूल प्रति :-                                   | हाँ/नहीं |
| 11. वाहन स्वामी का शपथ पत्र :-   | हाँ/नहीं |

उपरोक्त कागजातों सहित परमिट स्वीकृति संबंधी आवेदन प्राप्त किया ।

प्राप्त करने वाले कर्म का पूर्ण हस्ताक्षर  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना ।

## प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त आवेदन की प्राप्ति रसीद

प्राप्ति रसीद का क्रमांक एवं दिनांक :-

(क) वाहन स्वामी का नाम :-

(ख) वाहन का निबंधन संख्या :-

(संलग्न सभी कागजातों की छायाप्रति वाहन स्वामी द्वारा स्व हस्ताक्षरित होना आवश्यक है)

1. विहित प्रपत्र में वाहन स्वामी का फोटोयुक्त आवेदन की मूल प्रति :- हाँ/नहीं
2. वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र :- हाँ/नहीं
3. संबंधित प्राधिकार (जिस प्राधिकार से परमिट निर्गत है) का अग्रसारण पत्र :- हाँ/नहीं
4. निर्गत परमिट की छायाप्रति :- हाँ/नहीं
5. समय सारणी की छायाप्रति :- हाँ/नहीं
6. संबंधित राज्य का वैध कर प्रतीक :- हाँ/नहीं
7. बिहार राज्य का पथ कर हेतु बैंक ड्राफ्ट मूल में :- हाँ/नहीं
8. अद्यतन बीमा प्रमाण पत्र (प्राप्ति से न्यूनतम 15 दिनों तक वैध) :- हाँ/नहीं
9. अद्यतन फिटनेस प्रमाण पत्र (प्राप्ति से न्यूनतम 15 दिनों तक वैध) :- हाँ/नहीं
10. वाहन स्वामी का शपथ पत्र :- हाँ/नहीं
11. प्रदूषण प्रमाण पत्र :- हाँ/नहीं
12. प्रतिहस्ताक्षर शुल्क रू0 1000/- का बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति :- हाँ/नहीं
13. मोटरयान निरीक्षक का प्रमाण पत्र :- हाँ/नहीं

प्राप्त करने वाले कर्मों का पूर्ण हस्ताक्षर  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

प्रधान सचिव—सह—राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना ।